खादी और ग्रामोद्योग आयोग
खादी निदेशालय

सं. डीके(केसी)जीएसटी /सामा./2017-18 दिनांक:01.07.2017

सेवा में,

सभी राज्य/मंडलीय कार्यालय,

सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

केंद्रीय पूनी संयंत्रों के सभी परियोजना प्रबन्धक,

डीएसओ के सभी प्रबन्धक,

बहु उद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्रों के सभी प्राचार्य,

सभी खादी संस्थाएं।

विषय : दिनांक 1 जुलाई , 2017 से वस्तु और सेवा कर कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने दिनांक 01, जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम 2017 लागू किया है। जीएसटी के अंतर्गत सभी विभागीय सेल्स आउटलेट, केंद्रीय पूनी संयंत्र, बहु उद्देशीय प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्र (एमडीटीसी) और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गईं/दी गयी वस्तुएं और सेवाएं शामिल है। केन्द्रीय सेवा और वस्तु कर के तहत लागू कर की दरों और वस्तुओं की राज्य के भीतर (इंट्रा-स्टेट) आपूर्ति हेतु कर से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की गयी है। जीएसटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किए गए हैं।

सभी राज्य / मंडलीय निदेशकों को निर्देश दिया जाता है कि वे सूची 1 और 2 को भली भांति देख लें और सभी पदधारियों को उपर्युक्त विवरण से अवगत कराएं। वस्तु और सेवा कर को सुचारु रूप से लागू करने हेतु राज्य निदेशक वस्तु और सेवा कर सलाहकारों की सेवाएं भी ले सकते हैं। इस संबंध में राज्य निदेशक खादी संस्थाओं को सभी अपेक्षित सहायता भी प्रदान करें। इस संबंध में अत्यधिक जानकारी के लिए जीएसटी काउंसिल साइट को भी देखा जा सकता है।

सलग्न :उपरोक्त

भवदीय,

ह.

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (खादी)

प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकोष्ठ।
2. वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ।
3. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकोष्ठ।